संख्या- 48/2017/2796/60-2-17-2/1(1)/06 टीसी

प्रेषक,

शिवराज कुमार यादव
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 18 अक्टूबर, 2017**

विषयः-आई0एस0एस0एन0आई0पी0 योजना के अन्तर्गत आई0सी0टी0-आर0टी0एम0 के क्रियान्वयन हेतु GEM(Model-3) के माध्यम से प्राप्त दरों पर 54818 स्मार्टफोन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1725/बा0वि0परि0/जे0पी0सी0(स्निप)/ 2017-18, दिनांक 17.10.2017, जिसके द्वारा आई0सी0टी0-आर0टी0एम0 के क्रियान्वयन हेतु मेसर्स जैना मार्केटिंग एण्ड एसोसिएट (ओ0ई0एम0) जिसे डी0जी0एस0एन0डी0 द्वारा एल-1 निर्धारित किया गया है, से प्रस्तावित 54,818 स्मार्टफोन क्रय किये जाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 47/2017/2645/ 60-2-17 दिनांक 17.10.2017 द्वारा 9705-आई0एस0एस0 एन0आई0पी0 (संस्थागत एवं प्रक्रियात्मक सुधार) के मानक मद 42 अन्य व्यय में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि रू0 2338.00 लाख तथा चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक ''2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102- बाल कल्याण-97-वाह्य सहायतित योजनाएं- 9705- आई0एस0एस0 एन0आई0पी0 (संस्थागत एवं प्रक्रियात्मक सुधार) (के.88/रा. 12-के.$रा.) के मानक मद 42 अन्य व्यय में प्राविधानित बजट व्यवस्था रू0 2000.00 लाख अर्थात् कुल प्राविधानित बजट रू0 4338.00 लाख के सापेक्ष आई0एस0एस0एन0आई0पी0 योजना के अन्तर्गत आई0सी0टी0-आर0टी0एम0 के क्रियान्वयन हेतु GEM(Model-3) के माध्यम से 54818 स्मार्टफोन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में रू0 276776082.00(रू0 सत्ताईस करोड़ सड़सठ लाख छियत्तर हजार बयासी मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 17.10.2017 की शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(शिवराज कुमार यादव)
अनु सचिव

<u>संख्या- 48/2017/2796(1)/60-2-17-2/1(1)/06 टीसी तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1।

6. वित्त संसाधन केन्द्रीय सहायता अनुभाग।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शिवराज कुमार यादव)
अनु सचिव